5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

प्रकरण क्रमांक : आर. पीबीआर/18

प्रस्तुति दिनांक : 18/5/2018

आयुक्त/कार्या 18/6/18 को डाक/ 18-6

न्यायालय : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर केम्प इंदौर (म. प्र.)

निगरानी 4049/2018/धार/भू.रा.

आशीष पिता कैलाशचन्द्र सोनी,
निवासी-ग्राम अमझेरा, तह. सरदारपुर, जि. धार
हा. मु. 96-ए, रामचंद्र नगर, इंदौर (म. प्र.) ---प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- पीर खाँ पिता एहमद खा, जाति मुसलमान
2- मोहसिनउल्ला पिता हबीबउल्ला,
3- आशिकउल्ला पिता हबीबउल्ला,
4- नुरूल्ला पिता हबीबउल्ला
5- इशाकउल्ला पिता हबीबउल्ला
6- शबदर बी पिता हबीबउल्ला
7- बिलकिस बी पिता ~~अ~~ हबीबउल्ला
8- नाजरा बी पिता हबीबउल्ला
9- अखलाक बेगम पिता हबीबउल्ला
सभी निवासी-ग्राम अमझेरा, तहसील
सरदारपुर, जिला धार (म. प्र.) ---प्रतिप्रार्थीगण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री अजय सोनी/वाजपेयी
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 18.05.2018
को प्रस्तुत।
520
18-05-2018
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

निगरानी : अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959

महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा रा. प्र. क्र. 19/अ-6-अ/2016-17 में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 10/10/2017 एवं उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा 8/8/2017 से व्यथित व असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष सदर निगरानी प्रस्तुत की ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4049/2018/धार/भू.रा. जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-8-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 10-10-2017 को समयाभाव के कारण प्रकरण आदेशार्थ किया गया है जो न तो अंतरिम आदेश है और न ही अंतिम आदेश है । तहसील न्यायालय द्वारा उक्त् दिनांक को कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया । चूंकि अभी कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे की आवेदक को किसी प्रकार क्षति हुई हो । अतः यह निगरानी अर्थहीन होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	